

उच्च न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

उत्पत्ती संख्या : 12/2019 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

श्री आसिम दीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, भरतपुर

आवेदक

बनाम

श्री धरमवीर पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति वैश्य उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम धनवा
रोड कुम्हेर।

गैरसायल



प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,
2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :- 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 11.10.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दि. 26.08.2019 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 11.10.2019 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 11.10.2019 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 27.08.2018 को दोपहर पूर्व गैरसायल की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान पर 20 लीटर मिश्रित दूध का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2

मिश्रित दूध 70/-रूपये में कय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-539/एक्ट/2018/558 दिनांक 10.09.2018 द्वारा उक्त मिश्रित दूध अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लंघन किया गया है।



आरोपो को सुन व समझकर गैरसायलान ने कथन किया कि यह प्रोजेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हें सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायलान यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायलान ने स्वयं को कचौड़ी समौसे व चाय की दुकान चलाकर छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है तथा 80 से 100 कचौड़ी तथा 80 से 100 समौसे एवं 10 लीटर दूध बेचना तथा 10 लीटर दूध की चाय प्रतिदिन बिक्री करना बताया है। भविष्य में गैरसायलान अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायलान की प्रथम गलती है। अतः गैरसायलान के प्रति नरम रुख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 27.08.2018 को गैरसायलान की दुकान पर आम जनता के विक्रय हेतु मिश्रित दूध का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.09.2018 में अमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है।

आसिम दीन बनाम धरमवीर
प्रार्थना पत्र (खा.सु.) 12/2019

गैरसायलान छोटे स्तर का ब्यापारी है क्योकि उसके पास मात्र 80 से 100 कचौडी तथा 80 से 100 समौसे एवं 10 लीटर दूध बेचना तथा 10 लीटर दूध की चाय प्रतिदिन विक्री होती है। इसमें से लागत निकाल देने के बाद मामूली सी इनकम रह जाती है। वक्त जांच गैरसायल की दुकान पर मात्र 20 लीटर मिश्रित दूध ही पाया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायलान के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 2000/- रूपये (दो हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि जमा कोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को सरे दफ्तर